उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या-17/2017/1326/तीस-4-2017-8(4)पी-68

लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2017

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59 सन् 1988) की धारा-88 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश सरकार एवं राजस्थान सरकार के बीच किये जाने वाले प्रस्तावित करार का प्रारूप, अभ्यावेदन आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-57/तीस-4-2013-8(4)पी-68, दिनांक 24 जनवरी, 2014 द्वारा गजट में और करार द्वारा आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था,

और चूँकि, प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में इस प्रकार प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है,

और चूँकि, उत्तर प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार के बीच निम्नलिखित करार किया जा चुका है,

अतएव, अब उक्त अधिनियम की धारा-88 की उप धारा (6) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और पूर्ववर्ती पारस्परिक करार से संबंधित अधिसूचना संख्या-1765/तीस-4-2005-8(4)-पी-68, दिनांक 05 जनवरी, 2006 का अधिक्रमण करके राज्यपाल उक्त करार निम्नानुसार प्रकाशित करते हैं:-

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-17/2017/1326(1)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक 14 जुलाई, 2017 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 250 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

संख्या-17/2017/1326(2)/तीस-4-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
5- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- विधायी अनुभाग-1
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामाश्रय प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य पारस्परिक परिवहन करार

यह करार आज दिनांक 13 जून, 2017 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''उत्तर प्रदेश सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और राजस्थान के राज्यपाल (जिन्हें आगे ''राजस्थान सरकार'' कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के बीच यात्रियों और माल के लम्बी दूरी के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है।

और चूंकि, इससे सम्बद्ध पक्ष चाहते हैं कि उनके मध्य उक्त विषय पर हुए समस्त पूर्ववर्ती करारों का अतिक्रमण करके एतद्पश्चात् दिये गये निबन्धन और शर्तों पर उनके मध्य करार किया जा सकता है।

अब यह विलेख साक्षी है और दोनों पक्षकार एतद्द्वारा पारस्परिक रूप में निम्नलिखित करार करते हैं:-

1. यह करार सम्बन्धित राज्यों के सरकारी गजट में अन्तिम प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. **मालयान अनुज्ञा पत्रः**

(एक) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन मालयान अनुज्ञा पत्र

एकल बिन्दु कर आधार पर अन्य राज्य के सम्पूर्ण भाग के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा माल यानों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना जारी माल यान के लिए अनुज्ञा पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरण की सिफारिस पर अन्य राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन किये जायेंगेः-

(क) माल यान अनुज्ञापत्र, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 में यथा विनिर्दिष्ट और सम्बन्धित राज्य में प्रवृत्त राज्य मोटर यान नियमावली के अधीन ऐसी शर्तो जिन्हें सम्बन्धित परिवहन प्राधिकारी अधिरोपित करने के लिए उचित समझे, के अध्यधीन होंगे।

(ख) यह कि प्रतिहस्ताक्षर द्वारा आच्छादित यान का उपयोग व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, व्यतिकारी राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे।

(दो) मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 87 के अधीन मालयान (अस्थायी अनुज्ञापत्र)

एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना और उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना अनधिक तीस दिन की अवधि के लिए विद्यमान अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी किये जा सकते हैं। इन अनुज्ञापत्रों द्वारा आच्छादित यानों पर अन्य राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्ही दो बिन्दुओं के मध्य माल नहीं लादा और उतारा जाएगा। उन फेरों की संख्या पर कोई निर्बन्धन नहीं होगा जो अनुज्ञापत्र की विद्यमानता के दौरान यानों पर निष्पादित किये जा सकते हैं।

3. **ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र**

(एक) ठेका गाड़ी परमिट (मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र)

यह अनुज्ञा पत्र, पर्यटकों की आवश्यकता के अनुसार दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी की पूर्व सहमति के बिना प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी किये जा सकते हैं। अनुज्ञा पत्रों में प्रारम्भ और वापसी यात्रा को दर्शाते हुए यात्रा का विस्तृत कार्यक्रम अन्तर्विष्ट होगा। अनुज्ञा पत्र में ऐसा क्रम भी अन्तर्विष्ट होगा जिसमें विभिन्न स्थान, ऐसे स्थान से आगमन और प्रस्थान के समुचित दिनांक का उपदर्शन और अनुज्ञा पत्र प्रदान करने वाले प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से हस्ताक्षरित मोटर कैब से भिन्न गाड़ी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सूची सहित प्रदर्शित किये जायेंगे।

(दो) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-87(1)(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी अनुज्ञा-पत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 87(1)(क) के अधीन अस्थायी ठेका गाड़ी के अनुज्ञा पत्र, प्रत्येक राज्य के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा उनकी संख्या पर किसी सीमा के बिना और व्यतिकारी राज्य की पूर्व सहमति के बिना जारी किये जायेंगे।

4. मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 72 के अधीन मंजिली गाड़ी अनुज्ञा पत्र

(एक) उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गों पर मंजिली गाड़ी के संचालन के सम्बन्ध में पारस्परिक परिवहन समझौता अनुलग्नक ''क'' और ''ख'' के अनुसार होगा।

(दो) प्रत्येक अन्तर्राज्यिक मार्ग पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित फेरों की संख्या यथा सम्भव प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले मार्ग की लम्बाई के अनुसार नियत की जायेगी। इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य दैनिक एकल फेरा से है। अनुलग्नक 'क' और 'ख' में उल्लिखित मार्गों का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो टर्मिनलों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है। उक्त अनुलग्नकों में प्रदर्शित मार्ग के नाम या उसकी लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के मध्य तत्परता से पत्र व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जायेगा और उसे करार के किसी उपान्तरण के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(तीन) अनुलग्नक-'क' में उल्लिखित मार्गों की समय सारिणी, दोनों राज्यों के अनुज्ञा पत्र जारी करने वाले प्राधिकारियों द्वारा नियत की जायेगी और अनुलग्नक-'ख' में उल्लिखित मार्गों की मंजिली गाड़ियों की समय सारिणी, पारस्परिक परामर्श, यदि अपेक्षित हो, के पश्चात् सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा नियत की जायेगी।

(चार) किसी राज्य में स्थित भाग के लिए यात्री किराया अपने-अपने राज्य द्वारा नियत किये गये दरों के अनुसार प्रभारित किये जायेंगे।

(पांच) पारस्परिक करार के अधीन आने वाले दोनों राज्यों की मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, एकल बिन्दु कराधान आधार पर किया जायेगा जिसका तात्पर्य यह है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र धारक को केवल विशेष मार्ग कर/ यात्री कर/माल कर/अतिरिक्त कर इत्यादि (जिस भी नाम से आरोपित किया जाय) का संदाय करना होगा।

(छः) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो व्यतिकारी राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 87(1)(घ) के अधीन गृह राज्य अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर व्यतिकारी राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा और मोटरयान को एकल बिन्दु कराधान आधार पर चलाने के लिए प्राधिकृत किया जायेगा।

परन्तु अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा- 81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(सात) व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत मार्गों या उनके किसी भाग पर राज्य परिवहन उपक्रमों से भिन्न, मंजिली गाड़ी के लिए अनुज्ञा पत्र प्रदान या प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया जायेगा।

(आठ) दोनों राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रम किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर संचालन, अपने स्वामित्व अथवा ऐसे स्वामी और उपक्रम के मध्य उपक्रम द्वारा उस यान के उपयोग हेतु की गयी किसी व्यवस्था के अधीन, अपने बेड़े की किसी वाहन द्वारा सम्बन्धित राज्य परिवहन उपक्रम की सहमति पर कर सकेंगे।

(नौ) अपने-अपने राज्यों के परिवहन उपक्रम, अधिसूचित मार्गो पर मंजिली गाड़ी की नयी सेवायें जोड़ सकते हैं या दोनों राज्य सरकारों के अनुमोदन से लिखित पारस्परिक करार द्वारा समस्त सार्वजनिक मांग को ध्यान में रखते हुए किसी विद्यमान मार्ग पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह भी होगा कि ऐसी सेवाओं के मामले में व्यतिकारी राज्य को अपने-अपने राज्य परिवहन उपक्रमों द्वारा कोई मोटरयान कर/मार्गकर संदेय नहीं होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(दस) समस्त पूर्ववर्ती मंजिली गाड़ियों के अनुज्ञा पत्र, जो इस करार के प्रवृत्त होने के पूर्व किसी एक राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हैं, प्रवृत्त रहेंगे।

5. अस्थायी परमिट की समान्य शर्तें

(एक) प्रत्येक माह जारी विभिन्न प्रकार के अस्थायी अनुज्ञा पत्रों (माल यान/ठेका गाड़ी) की पृथक-पृथक सूची, दूसरे राज्य द्वारा प्रत्येक राज्य के परिवहन आयुक्तों को प्रस्तुत की जायेगी।

(दो) पूर्वगामी अनुच्छेद-4(छः) के अधीन जारी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों को छोड़कर समस्त अस्थायी अनुज्ञा पत्र, यदि प्रतिहस्ताक्षरित या अनुज्ञात हों, द्विबिन्दु कराधान आधार पर होंगे जिसका तात्पर्य है कि ऐसे प्रत्येक अनुज्ञा पत्र, धारक को सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस सहित विशेष मार्गकर/यात्रीकर और मोटरयान कर/मार्ग कर, जैसी भी स्थिति हो, दोनों का संदाय करना होगा।

(तीन) उत्तर प्रदेश का परिवहन प्राधिकारी, राजस्थान राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह राज्य मे ंप्रवेश करने के पूर्व सीमा पर स्थित कर संग्रह केन्द्रों/जांच चैकियों पर करों का भुगतान करे।

(चार) राजस्थान राज्य का परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए ऐसा अनुज्ञा पत्र प्रदान करते समय स्वामी/चालक को निर्देशित करेगा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य का देय कर, ई-भुगतान के माध्यम से या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा, जो भारतीय स्टेट बैंक में भुगतान योग्य हो या अन्य किसी रीति से जैसा परिवहन आयुक्त द्वारा बाद में निर्धारित किया जाय, भुगतान करे। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण पृष्ठांकित किया जायेगा और बैंक ड्राफ्ट परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम से देय होगा जो संभागीय परिवहन अधिकारी जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो। ऐसे बैंक ड्राफ्टों को यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा राज्य की सीमा पर स्थित जांच चैकियों/कर संग्रह केन्दों पर जमा किया जायेगा और यदि सीमा पर उत्तर प्रदेश राज्य का कर संग्रह केन्द्र न हो तो उसे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश बिन्दु पर कराधान अधिकारी के अवस्थित नजदीकी कार्यालय में जमा किया जायेगा। यदि इस प्रकार जमा कर की धनराशि में कोई कमी हो तो उसे सीमा पर स्थित जांच चैकी पर नगद में आगणित और वसूल किया जायेगा जिसके लिए विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी। मोटरयान कर, यात्रीकर और माल कर अथवा अन्य किसी नये नाम से ये कर निर्धारित हों, के लिए पृथक डिमान्ड ड्राफ्ट देय होंगे।

6. कराधान

विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर प्रचालित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में व्यतिकारी राज्यों के कर, सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमावली के उपबन्धों के अनुसार संदेय होगे।

7. प्रतिहस्ताक्षर

दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा की गयी सिफारिश पर यथास्थिति, किसी राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण या संभागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षर स्वीकृत किया जायेगा।

8. कारीडोर मार्ग

उत्तर प्रदेश और राजस्थान, दोनों राज्यों की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये कुछ मार्ग एक राज्य में प्रारम्भ और समाप्त होने वाले बिन्दुओं के बीच अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के किसी छोटे भाग में से होकर जाते हैं। अतएव राज्य के मोटरयानों की, जो ऐसे मार्गो पर चलाये जाने के लिए अनुज्ञात हैं, सम्पूर्ण यात्रा पूरी करने के लिए दूसरे राज्य की उस छोटी सी पट्टी से होकर जाना पड़ेगा।

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 88 (1) के अधीन यह उपबन्धित है कि जहां किसी मार्ग के प्रारम्भ होने वाले बिन्दु और समाप्त होने वाले दोनों बिन्दु एक ही राज्य में स्थित हों किन्तु ऐसे मार्ग का भाग किसी दूसरे राज्य में पड़ता हो और ऐसे भाग की लम्बाई सोलह किलोमीटर से अधिक न हो, वहां अनुज्ञा पत्र मार्ग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के उस भाग के सम्बन्ध में जो उस अन्य राज्य में है, अन्य राज्य में इस बात के होते हुए भी कि ऐसे अनुज्ञा पत्र पर उस दूसरे राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर नहीं किया गया है, विधिमान्य होगा।

विधि के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए मुक्त कारीडोर सुविधा का लाभ उठाने वाले ऐसे यानों के अनुज्ञा पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं होगा किन्तु ऐसे अनुज्ञा पत्रों को मोटरयान कर के प्रयोजनों के लिए उन अनुज्ञा पत्रों के समान समझा जाएगा जिन्हें सम्यक रूप से प्रतिहस्ताक्षरित किया जाता है और वे एकल बिन्दु कर के आधार पर अनुज्ञात होंगे।

जब कभी पारस्परिक करारकर्ता राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अन्य राज्य के मुक्त कारीडोर में वाहन प्रचालन के लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किये जाते हैं तो ऐसे अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से यह पृष्ठांकित किया जाएगा कि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 88 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन अनुज्ञा-पत्र पर प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित नहीं हैं। जारी करने वाला प्राधिकारी सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम और नियमावली के अध्यधीन अनुज्ञापत्र धारक से ऐसे कारीडोर मार्ग का देय समस्त कर यथा विशेष मार्ग कर/यात्री कर इत्यादि, वसूल करेगा।

9. सामान्य

(एक) व्यतिकारी राज्य, इस करार के अनुसार अन्तर्राज्यिक मार्गो पर चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों में से प्रत्येक की सुसंगत नियमावली के अधीन जारी कर, टोकनों, चालक और परिचालक अनुज्ञप्ति, परिवहन यान प्राधिकार और स्वस्थता प्रमाण-पत्र को मान्यता प्रदान करेंगे।

(दो) यह करार ऐसे समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक दोनों राज्यों के बीच कोई नया करार नहीं हो जाता है। तथापि यह करार किसी भी राज्य द्वारा तीन माह की नोटिस जारी करने के पश्चात् विखण्डित किया जा सकता है। यह करार प्रत्येक वर्ष या दोनों में से किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी के अनुरोध पर पुनरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आराधना शुक्ला प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	शैलेन्द्र अग्रवाल प्रमुख सचिव एवं परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से	राजस्थान के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से
साक्षी के0 रविन्द्र नायक, परिवहन आयुक्त एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम।	साक्षी कुलदीप रांका, प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–क

राजस्थान व उत्तर प्रदेश के मध्य अन्तर्राज्यीय मार्गों (राष्ट्रीयकृत मार्गों से भिन्न) एवं सेवाओं का विवरण

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	किलोमीटर			फेरे		अनुज्ञा पत्रों की संख्या		परिचालित कि0मी0	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	योग	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	राजस्थान में उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश में राजस्थान
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	मथुरा–भरतपुर	22	14	36	48	36	24	18	672	792
2	कुम्हेर–गोवर्धन	19	8	27	26	10	16	8	*208	190
3	भरतपुर–गोवर्धन वाया जाजमपट्टी	17	21	38	16	20	8	10	336	340
4	राजाखेड़ा–भदरौली वाया सादिकपुर	24	8	32	44	8	18	8	*192	192
5	हिन्डोन–फतेहपुर सीकरी वाया बयाना	6	78	84	4	24	4	24	314	**144
6	बयाना–गोवर्धन वाया कुम्हेर, सौख	24	56	80	8	12	8	12	448	288
7	भरतपुर–फतेहपुर सीकरी वाया ऊचानगला	10	14	24	16	8	8	4	224	**80
8	भरतपुर–अछनेरा वाया नोह, पिपला, ओल	12	18	30	6	8	3	4	108	96
9	रूपवास–फतेहपुरसीकरी वाया खनवामोड़	12	10	22	8	8	4	4	80	96
10	धौलपुर–फतेहपुरसीकरी वाया बारी, बसेड़ी, रूपवास	27	58	85	4	8	2	4	232	216
	योग–				180	142	95	96	2814-*480= 2334	2434-**224= 2210

- राजस्थान में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों का परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।
- उत्तर प्रदेश में लम्बाई में 10 किलोमीटर तक के मार्गों की परिचालन किलोमीटर दूरी अपवर्जित कर दी गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुलग्नक–ख

उत्तर प्रदेश व राजस्थान राज्य के मध्य अन्तर्राज्यिक मार्गो पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित होने वाले मार्गों एवं सेवाओं का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	किलोमीटर				एकल फेरा		परमिट		संचालन किलोमीटर	
		उत्तर प्रदेश	राजस्थान	अन्य	कुल	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान	उत्तर प्रदेश	राजस्थान उत्तर प्रदेश में	उत्तर प्रदेष राजस्थान में
1	2	3a	3b	3c	3d	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	आगरा–ग्वालियर	32	29	66	127	0	20	0	10	0	580
2	आगरा–राजाखेडा	32	7	0	39	24	0	6	0	768	0
3	जयपुर–ग्वालियर	82	221	66	369	4	6	4	6	328	1326
4	आगरा–जयपुर–वाया ऊँचानगला	50	192	0	242	4	24	4	12	200	4608
5	ग्वालियर–दिल्ली वाया आगरा	146	29	164	339	2	10	2	5	292	290
6	जयपुर–कानपुर वाया आगरा	340	202	0	542	0	4	0	4	0	808
7	मथुरा–ग्वालियर वाया आगरा	90	29	66	185	6	6	3	3	540	174
8	मथुरा–भरतपुर–जयपुर	22	198	0	220	8	16	8	8	176	3168
9	अलीगढ़–अजमेर वाया मथुरा–जयपुर	86	334	0	420	4	2	4	2	344	668
10	वृंदावन–उदयपुर	37	630	0	667	2	2	2	2	74	1260
11	मथुरा–अलवर	31	89	0	120	18	0	9	0	558	0
12	आगरा–भरतपुर वाया चिकसना	42	16	0	58	6	0	2	0	252	0
13	आगरा–भरतपुर वाया फतेहपुर सीकरी	50	13	0	63	14	8	7	4	700	104
14	आगरा–धौलपुर	32	24	0	56	8	8	2	2	256	192
15	आगरा–खजुराहो	130	29	248	407	0	4	0	4	0	116
16	हरिद्वार–जयपुर वाया दिल्ली	145	167	184	496	12	12	12	12	1740	2004
17	मथुरा–कैलादेवी वाया भरतपुर	22	173	0	195	4	0	2	0	88	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

18	मेरठ–अजमेर–पुष्कर वाया दिल्ली	58	314	130	502	4	4	4	4	232	1256
19	मेरठ–बालाजी वाया अलवर	58	163	147	368	2	2	2	2	116	326
20	मुरादाबाद–अजमेर वाया दिल्ली	161	299	130	590	0	4	0	4	0	1196
21	बरेली–अजमेर वाया मथुरा	257	331	0	588	4	2	4	2	1028	662
22	आगरा–अजमेर वाया भरतपुर	50	331	0	381	0	4	0	4	0	1324
23	बुलन्दशहर–अजमेर वाया मथुरा	154	331	0	485	0	2	0	2	0	662
24	महोबा–आगरा	195	29	171	395	0	4	0	4	0	116
25	झाँसी–दिल्ली	162	29	242	433	0	2	0	2	0	58
26	महोबा–दिल्ली	309	29	216	554	0	2	0	2	0	58
27	मेरठ–अलवर वाया दिल्ली गुडगाँव	58	38	147	243	4	2	4	2	232	76
28	सहारनपुर–अजमेर वाया दिल्ली	157	299	130	586		2		2	0	598
29	अलीगढ़–जयपुर वाया मथुरा–इग्लास	86	202	0	288	10	4	5	4	860	808
30	आगरा–बीकानेर वाया भरतपुर–जयपुर	50	552	0	602	2	0	2	0	100	0
31	नैनीताल–जयपुर वाया दिल्ली	210	167	228	605	4	2	4	2	840	334
32	सोरों–पुष्कर वाया मथुरा–भरतपुर	146	345	0	491	0	6	0	6	0	2070
33	फर्रुखाबाद–जयपुर–अजमेर वाया कायमगंज	244	331	0	575	0	2	0	2	0	662
34	फर्रुखाबाद–जयपुर वाया मैनपुरी–आगरा	240	196	0	436	4	10	4	10	960	1960
35	लखनऊ–जयपुर वाया कानपुर–आगरा	430	196	0	626	8	4	8	4	3440	784
36	कोटद्वार–दिल्ली–जयपुर वाया कोटपुतली	195	167	134	496	0	2	0	2	0	334
37	भरतपुर–धौलपुर वाया फतेहपुर सीकरी	84	35	0	119	2	0	1	0	168	0
38	भरतपुर–ग्वालियर वाया चिकसाना	74	45	66	185	2	0	1	0	148	0
39	जयपुर–फिरोजाबाद	96	196	0	292	4	0	2	0	384	0
40	महावीरजी–शिकोहाबाद वाया आगरा एक्टेंशन कानपुर वाया मैनपुरी	257	127	0	384	2	0	2	0	514	0
41	भरतपुर–वाह एक्टेंशन कानपुर वाया इटावा	280	16	0	296	2	0	2	0	560	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

42	कैलादेवी–सोरों वाया आगरा	181	165	0	346	2	0	1	0	362	0
43	भरतपुर–कायमगंज वाया आगरा–एटा	208	11	0	219	2	0	1	0	416	0
44	जयपुर–राजाखेड़ा वाया भरतपुर–आगरा	85	202	0	287	4	0	2	0	340	0
45	टोंक–फर्रुखाबाद वाया आगरा मैनपुरी	240	296	0	536	2	0	2	0	480	0
46	भरतपुर–इटावा–जयपुर वाया आगरा	179	11	0	190	2	0	2	0	358	0
47	धौलपुर–फर्रुखाबाद	222	24	0	246	2	0	1	0	444	0
48	धौलपुर–इटावा	159	24	0	183	2	0	1	0	318	0
49	धौलपुर–कायामगंज वाया एटा	188	24	0	212	2	0	1	0	376	0
50	धौलपुर–अलीगढ़ वाया आगरा	120	24	0	144	2	0	1	0	240	0
51	मथुरा–मुरैना वाया आगरा–धौलपुर	90	29	29	148	4	0	2	0	360	0
52	धौलपुर–सोरों वाया आगरा–एटा	168	24	0	192	4	0	2	0	672	0
53	ग्वालियर–अलीगढ़ वाया आगरा	118	29	66	213	2	0	1	0	236	0
54	धौलपुर–दिल्ली वाया आगरा–मथुरा	132	24	100	256	4	4	2	2	528	96
55	जयपुर–रामनगर वाया दिल्ली मुरादाबाद	148	167	171	486	2	2	2	2	296	334
56	जयपुर–सोरों वाया भरतपुर मथुरा	146	198	0	344	10	0	10	0	1460	0
57	भरतपुर–कोसी वाया ढ़ींगकमान	18	70	0	88	6	0	3	0	108	0
58	भरतपुर–बाजना	85	14	0	99	6	0	3	0	510	0
59	अलवर–आगरा वाया मथुरा	88	89	0	177	10	0	5	0	880	0
60	अलवर–आगरा वाया भरतपुर	52	128	0	180	4	0	2	0	208	0
61	अलवर–अलीगढ़ वाया मथुरा	91	89	0	180	2	0	2	0	182	0
62	अलवर–बरेली वाया मथुरा–सोरोन	248	89	0	337	2	0	2	0	496	0
63	भरतपुर–सोरों वाया मथुरा	146	17	0	163	4	0	2	0	584	0
64	सिंसनी–बाजना	93	43	0	136	2	0	1	0	186	0
65	भरतपुर–अलीगढ़ वाया मथुरा	88	17	0	105	10	0	5	0	880	0
66	भरतपुर–मानगढ़ी वाया मथुरा बाजना	94	17	0	111	2	0	1	0	188	0
67	भरतपुर–दाऊजी	43	17	0	60	2	0	1	0	86	0
68	जयपुर–दाऊजी	43	202	0	245	2	2	1	1	86	404

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

69	दिल्ली–भरतपुर वाया कानाढ़ींग	27	67	100	194	18	0	9	0	486	0
70	दिल्ली–भरतपुर वाया मथुरा	71	17	100	188	4	4	2	2	284	68
71	जयपुर–गोवरधन वाया डींग	8	198	0	206	12	0	6	0	96	0
72	मथुरा–अजमेर वाया दिल्ली	58	299	130	487	2	0	2	0	116	0
73	जयपुर–मुरादाबाद वाया कोटपुतली दिल्ली	182	167	130	479	2	2	2	2	364	334
74	जयपुर–देहरादून वाया कोटपुतली–दिल्ली	136	167	227	530	4	2	4	2	544	334
75	खेरथारल–हस्तिनापुर वाया दिल्ली–मेरठ	99	69	130	298	2	0	2	0	198	0
76	महावीरजी–दिल्ली वाया भरतपुर–ड़ींग	27	164	100	291	2	0	2	0	54	0
77	अलवर–मुरादाबाद–रामपुर वाया तिजारा भीवारी	189	95	93	377	2	0	2	0	378	0
78	जयपुर–हरिद्वार वाया मथुरा	313	202	54	569	2	2	2	2	626	404
79	सीकर हरिद्वार वाया दिल्ली	145	120	184	449	2	0	2	0	290	0
80	लडनू–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	246	184	575	2	0	2	0	290	0
81	झुंझुनू–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	137	184	466	2	0	2	0	290	0
82	बीकानेर–हरिद्वार वाया राजगढ़–जिन्द–शामली– मुज्जफरनगर	70	277	296	643	4	0	4	0	280	0
83	गंगानगर–हरिद्वार वाया हिसार–हाँसी–पानीपत– मुज्जफर नगर	70	227	272	569	2	0	2	0	140	0
84	जोधपुर–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	519	184	848	4	0	4	0	580	0
85	जालौन–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	585	190	920	2	0	2	0	290	0
86	उदयपुर–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	609	183	937	2	0	2	0	290	0
87	अलवर–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	38	201	384	4	0	4	0	580	0
88	भरतपुर–हरिद्वार वाया मथुरा–अलीगढ़	313	17	54	384	2	0	2	0	626	0
89	धौलपुर–हरिद्वार वाया आगरा–अलीगढ़–मेरठ	347	24	54	425	2	0	2	0	694	0
90	मथुरा–डींग–कोसी	47	40	0	87	2	0	1	0	94	0
91	झाँसी–मेरठ वाया ग्वालियर–धौलपुर	275	29	153	457	0	2	0	2	0	58

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

92	लखनऊ–अजमेर वाया हरदोई–फर्रूखाबाद–बेवर–आगरा	437	331	0	768	2	2	2	2	874	662
93	आगरा–कैलादेवी वाया फतेहपुर सीकरी	50	170	0	220	2	2	1	1	100	340
94	आगरा–उदयपुर वाया भरतपुर–जयपुर	50	630	0	680	2	0	2	0	100	0
95	हिन्डौन–भरतपुर–मथुरा–सहारनपुर	295	94	0	389	2	0	2	0	590	0
96	अजमेर–वृंदावन	37	326	0	363	2	0	2	0	74	0
97	भरतपुर–कोसी वाया मथुरा, ड़ींग	69	54	0	123	4	0	2	0	276	0
98	भरतपुर–मथुरा	29	13	0	42	12	0	3	0	348	0
99	ढोलपुर–समीखरा	136	24	0	160	2	0	1	0	272	0
100	मथुरा–डींग	31	9	0	40	12	0	3	0	372	0
101	भरतपुर–गंजदुवारा	173	11	0	184	2	0	1	0	346	0
102	बरी–आगरा–इटावा वाया खैरगढ़–सानिया	42	48	0	90	2	0	1	0	84	0
103	धौलपुर–बाह	71	24	0	95	2	0	1	0	142	0
104	भरतपुर–अकोला	40	11	0	51	2	0	1	0	80	0
105	जयपुर–सोनौली वाया आगरा	814	198	0	1012	0	4	0	4	0	792
106	इलाहाबाद–पुष्कर वाया अजमेर–आगरा	541	345	0	886	0	2	0	2	0	690
107	बाँदा–अजमेर	443	331	0	774	0	2	0	2	0	662
108	आगरा–छतरपुर वाया धौलपुर	130	29	245	404	0	10	0	10	0	290
109	कोटा–झाँसी वाया शिवपुरी	16	185	132	333	4	0	2	0	64	0
110	भरतपुर–हाथरस वाया आगरा	104	11	0	115	4	0	2	0	416	0
111	आगरा–माउंट आबू	50	660	0	710	1	1	1	1	50	660
112	टोंक–अलीगढ़	93	298	0	391	4	0	2	0	372	0
113	सोरों–भरतपुर	178	11	0	189	2	0	1	0	356	0
114	आगरा–जोधपुर	50	526	0	576	4	0	4	0	200	0
115	धौलपुर–जयपुर वाया आगरा	82	217	0	299	14	0	7	0	1148	0
116	धौलपुर–जोधपुर वाया आगरा–भरतपुर	82	550	0	632	2	0	2	0	164	0
117	लखनऊ–ड़ीग वाया मथुरा	473	9	0	482	0	2	0	2	0	18

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

118	अजमेर–शाहजहाँपुर वाया मैनपुरी	313	331	0	644	0	2	0	2	0	662
119	फिरोजाबाद–आगरा वाया ग्वालियर–धौलपुर	76	29	66	171	2	0	2	0	152	0
120	हाथरस–आगरा वाया ग्वालियर–धौलपुर	87	29	66	182	2	0	2	0	174	0
121	अलवर–अलीगढ़–हापुड वाया मथुरा–बुलन्दशहर	200	89	0	289	2	0	2	0	400	0
122	अलवर–खैर–अलीगढ वाया मथुरा–बाजना	145	89	0	234	2	0	2	0	290	0
123	जयपुर–गोवरधन–सोरों वाया ड़ींग	174	198	0	372	2	0	2	0	348	0
124	जोधपुर–अलीगढ़	85	542	0	627	2	0	2	0	170	0
125	अजमेर–कानपुर	345	328	0	673	2	4	2	4	690	1312
126	श्रीमाधवपुर–रामघाट वाया नीम का थाना–अलवर–मथुरा–अलीगढ़	138	200	0	338	2	0	2	0	276	0
127	भरतपुर–हरदोई वाया कायमगंज	616	22	0	638	2	0	2	0	1232	0
128	अलवर–मुरादाबाद वाया तिजारा–भिवाडी–दिल्ली	157	94	96	347	2	0	2	0	314	0
129	कोटा–जयपुर–मुरादाबाद वाया कोटपुतली–दिल्ली	161	422	136	719	2	0	2	0	322	0
130	कोटा–जयपुर–बरेली वाया भरतपुर	243	457	0	700	2	0	2	0	486	0
131	जयपुर–टनकपुर वाया दिल्ली	233	167	242	642	2	0	2	0	466	0
132	भिलवाड़ा–हरिद्वार वाया जयपुर–कोटपुतली–दिल्ली	147	434	190	771	2	0	2	0	294	0
133	चित्तौड़गढ़–हरिद्वार वाया बैगुन मंडलगढ़ देवली–टौंक जयपुर	147	511	190	848	2	0	2	0	294	0
134	लडनू–हरिद्वार वाया मेहला–भिवानी रोहतक–पानीपत–रुडकी	90	209	258	557	2	0	2	0	180	0
135	लडनू–हरिद्वार वाया सुजानगढ़–रतनगढ़–चुर्रु–राजगढ़–हिसार–	90	211	276	577	2	0	2	0	180	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	पानीपत										
136	जयपुर–कोटद्वारा वाया दिल्ली	125	167	173	465	2	0	2	0	250	0
137	जयपुर–रुद्रपुर वाया दिल्ली	190	158	158	506	2	0	2	0	380	0
138	कैलादेवी–हरिद्वार वाया मथुरा	259	173	54	486	2	0	2	0	518	0
139	भरतपुर–हरिद्वार वाया मथुरा	259	17	54	330	2	0	2	0	518	0
140	कोटा–हरिद्वार वाया जयपुर दिल्ली	145	419	184	748	2	2	2	2	290	838
141	खेतरी–हरिद्वार वाया नारनौर–रिवाडी दिल्ली–गाजियाबा–मेरठ–मुज्जफर नगर	143	74	243	460	2	0	2	0	286	0
142	बारमेल–हरिद्वार वाया बीकानेर–राजगढ़ –हिसार–पानीपत–मुज्जफर नगर	90	705	537	1332	2	0	2	0	180	0
143	कुच्चामान–हरिद्वार वाया शिकार–नीम का थाना दिल्ली	143	263	184	590	2	0	2	0	286	0
144	ढीगाना–हरिद्वार वाया शिकार–नीम का थाना दिल्ली	143	340	184	667	2	0	2	0	286	0
145	नागौर–हरिद्वार वाया ढिढवाना–शिकार	143	361	184	688	2	0	2	0	286	0
146	नागौर–हरिद्वार वाया भोपालगढ़–मेरटा–अजमेर–दिल्ली	143	536	184	863	2	0	2	0	286	0
147	श्रीमाधवपुर–हरिद्वार वाया अजीतगढ़–सापुडा दिल्ली	143	141	184	468	2	0	2	0	286	0
148	सांभर–हरिद्वार वाया जाबनेर–रिनवल–छोमू–चाँदबाजी–कोटपुतली–दिल्ली	143	235	184	562	2	0	2	0	286	0
149	अजमेर–हरिद्वार वाया दिल्ली	145	299	184	628	2	0	2	0	290	0
150	फालोदी–हरिद्वार वाया बाप–बीकानेर–सरदार शहर–राजगढ़–हिसार–पानीपत–मुज्जफरनगर	90	433	294	817	2	0	2	0	180	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

151	बीकानेर–हरिद्वार वाया लंकारनसर–रावतसर–नोहार–बढ़ारा–हिसार	90	332	258	680	2	0	2	0	180	0
152	हाथरस–जयपुर वाया मथुरा–भरतपुर	70	202	0	272	0	2	0	2	0	404
153	उरई–पुष्कर वाया जालौन –औरैया–आगरा–जयपुर	253	345	0	598	0	2	0	2	0	690
154	कोटरा–बालाजी वाया जालौना–इटावा–आगरा	368	72	0	440	0	4	0	4	0	288
155	उरई–जयपुर वाया उमरी–रामपुरा– कंजौसा– उदीमोड़–आगरा	310	192	0	502	0	2	0	2	0	384
156	झाँसी–कोटा वाया श्योपुर–बारा	16	185	132	333	0	4	0	4	0	740
157	टीकमगढ़–दिल्ली वाया झाँसी ग्वालियर आगरा	215	29	312	556	0	2	0	2	0	58
158	उरई–कैलादेवी वाया माधोगढ़–रामपुरा–कनलौसा–उदीमोड–आगरा	308	165	0	473	0	4	0	4	0	660
159	मुरादाबाद–अजमेर वाया सम्भल–अलीगढ़–आगरा	342	338	0	680	0	4	0	4	0	1352
160	मुरादाबाद–जयपुर वाया चंदौसी–अलीगढ़–आगरा	302	198	0	500	0	2	0	2	0	396
161	मुरादाबाद–ग्वालियर वाया आगरा–धौलपुर	282	29	66	377	0	2	0	2	0	58
162	धामपुर–जयपुर वाया बिजनौर–दिल्ली	199	167	130	496	0	2	0	2	0	334
163	मेरठ–जयपुर–वनस्थली वाया दिल्ली	57	243	112	412	0	2	0	2	0	486
164	बाह–आगरा–जयपुर	125	196	0	321	0	2	0	1	0	392
165	फिरोजाबाद–जयपुर वाया ऊँचा नगला	100	196	0	296	0	2	0	1	0	392
166	राजाखेड़ा–दिल्ली	152	7	89	248	0	2	0	1	0	14
167	रुपेडिहा–जयपुर वाया आगरा	636	196	0	832	0	2	0	2	0	392
168	सीतापुर–अजमेर–पुष्कर वाया नैमिशारण्य–हरदोई–फर्रुखाबाद–आगरा	418	331	0	749	0	2	0	3	0	662

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

169	बरेली–जयपुर वाया मथुरा	249	202	0	451	0	6	0	6	0	1212
170	बदायूँ–अजमेर	243	288	0	531	0	2	0	2	0	576
171	बरेली–रुद्रपुर–जयपुर	281	202	42	525	0	2	0	2	0	404
172	बरेली–टनकपुर–जयपुर	323	202	37	562	0	2	0	2	0	404
173	रुपैडिहा–जयपुर वाया आगरा	557	202	0	759	0	2	0	2	0	404
174	चित्रकूट–जयपुर वाया कानपुर आगरा	566	196	0	762	0	2	0	3	0	392
175	इलाहाबाद–जयपुर वाया कानपुर आगरा	541	202	0	743	0	4	0	4	0	808
176	सहारनपुर–शामली–पानीपत–हिसार हनुमानगढ़	90	165	207	462	0	2	0	2	0	330
177	हरिद्वार–मेरठ–दिल्ली–जयपुर पुष्कर	143	314	186	643	0	4	0	4	0	1256
178	मुज्जफरनगर–दिल्ली–जयपुर	115	167	130	412	0	2	0	2	0	334
179	मुज्जफरनगर–मेरठ–मथुरा–अल्वर	295	89	0	384	0	2	0	2	0	178
180	मुज्जफरनगर–मेरठ–अजमेर–पुष्कर	115	314	130	559	0	2	0	2	0	628
181	मुज्जफरनगर–मेरठ–मथुरा–महावीरजी	223	113	0	336	0	2	0	2	0	226
182	सहारनपुर–मेरठ–मथुरा वाया महावीरजी	295	113	0	408	0	2	0	2	0	226
183	सहारनपुर–मेरठ–दिल्ली–जयपुर	187	167	130	484	0	2	0	2	0	334
184	सहारनपुर–मेरठ–मथुरा – बालाजी	360	104	0	464	0	2	0	2	0	208
185	सहारनपुर–शामली–दिल्ली–जयपुर	156	167	159	482	0	2	0	2	0	334
186	शाकुम्बरीदेवी–भरतपुर–सहारनपुर– मेरठ–मथुरा	405	13	0	418	0	4	0	4	0	52
187	कोटा–देहरादून वाया जयपुर–दिल्ली	143	422	235	800	2	0	2	0	286	0
188	लालसोंठ–सोरों	146	175	0	321	2	0	2	0	292	0
189	धौलपुर–कोसी वाया खेरागढ़–अचनैरा–गोवरधन–नंदगाँव	131	35	0	166	2	0	1	0	262	0
190	मुरादाबाद–अलीगढ़–अजमेर वाया मथुरा–जयपुर	236	334	0	570	2	0	2	0	472	0
191	अलवर–आगरा–फिरोजाबाद वाया	133	89	0	222	4	0	4	0	532	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	मथुरा–टुण्डला										
192	रामपुर–जयपुर वाया दिल्ली	190	167	130	487	2	4	2	4	380	668
193	मुरादाबाद–कोटा वाया दिल्ली	261	419	136	816	0	2	0	2	0	838
194	रामपुर–जयपुर वाया शाहबाद–सम्भल–आगरा	369	198	0	567	0	2	0	2	0	396
195	कन्नौज–अजमेर वाया आगरा–जयपुर	363	331	0	694	0	4	0	4	0	1324
196	दौसा–सोरों वाया खेली–गोवरधन–मथुरा	191	110	0	301	2	0	2	0	382	0
197	सवाइमाधोवपुर–सोरों वाया गंगापुर–सिकंदरा–नदबाई–गोवरधन–मथुरा	191	207	0	398	4	0	4	0	764	0
198	दौसा–बरेली वाया भरतपुर–मथुरा	217	110	0	327	4	0	4	0	868	0
199	सवाइमाधोवपुर–मथुरा वाया गोवरधन	34	207	0	241	2	0	2	0	68	0
	TOTAL	**34359**	**36752**	**13607**	**84718**	**523**	**335**	**367**	**280**	**56558**	**56774**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.17/2017/1326/XXX-4-2017-8(4) P-68 dated July 14, 2017.

Notification

No.17/2017/1326/XXX-4-2017-8(4) P-68
Lucknow: Dated July 14, 2017

WHEREAS as per the requirement of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) proposed draft of the agreement to be entered into between the Government of Uttar Pradesh and the Government of Rajasthan was published vide Government notification no.57/XXX-4-2013-8(4) P-68, dated January 24, 2014 in the Gazette and in different news papers in regional languages circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement with a view to inviting representations,

AND WHEREAS the representations so received in respect of proposed agreement have been considered,

AND WHEREAS Government of Uttar Pradesh and Government of Rajasthan have entered into an agreement as follows;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (6) of section 88 of the said Act and in supersession of Notification No.1765/XXX-4-2005-8(4)-P-68, dated January 05, 2006 previous reciprocal agreement the Governor is pleased to publish the said agreement as hereunder:-

By Order,

Aradhana Shukla
Principal Secretary.

DRAFT OF RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF RAJASTHAN AND GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

This agreement made on this 13th day of June, 2017 between the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the Government of Uttar Pradesh which expression shall include his successor in office) of the one part and the Governor of Rajasthan (hereinafter referred to as the Government of Rajasthan which expression shall include his successor in office) of the second part.

WHEREAS, it is expedient in view of the rapid economic development of the country, to encourage the long distance Interstate Transport of the passengers and goods between the states of Uttar Pradesh and Rajasthan and to regulate, coordinate and control their operation, it is necessary to make a reciprocal agreement between the two States.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

AND WHEREAS the parties here to desire that in the supersession of all the previous agreements on the subject entered into between them an agreement on the terms and conditions set out hereinafter may be made between them:

NOW THIS DEED WITNESSES AND the parties hereby mutually agree as follows:-

1. This agreement shall come into force with effect from the date of its final publication in the Official Gazette of respective States

2. GOODS CARRIAGE PERMITS:

(i) **Goods Carriage Permits under section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988;**

The permit for goods carriage, without restriction on their number, issued by each state shall be countersigned by the Transport Authority of the other State on the recommendation of the State Transport Authority concerned, for the whole of the other State on single point tax basis. The counter signature shall be subject to the following conditions:-

(a) Goods Carriage permits shall be subject to such conditions specified in section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988 and under the State Motor Vehicles Rules in force in the State concerned as the concerned transport authority may deem fit to impose.

(b) That the vehicle covered by the counter signature shall not be used for picking up and setting down the goods at any two points within the territory of the reciprocating State i.e. such vehicles shall be prohibited from carrying on transport business exclusively within the territory of the reciprocating State.

(ii) Goods Carriage (Temporary Permits) under section 87 of the Motor Vehicles Act, 1988

Temporary Permits Valid for a period not exceeding thirty days may be issued by the Transport Authority of one State without prior concurrence of the Transport Authority of the other State and without restriction on their number. The vehicles covered by these permits will not pick up and set down goods between any two points within the territory of the other State. There will be no restriction on the number of the trips that may be performed by the vehicles during the currency of the permit.

3. Contract Carriage Permits

(i) Contract Carriage Permits (Special Permits Under Section 88 (8) of the Motor Vehicles Act 1988)

These permits may be issued by the Transport Authority of each State without prior concurrence of the Transport Authority of the other State, according to the need of the tourists. The permit shall contain the detailed programme of the tour, showing the dates of onward and return journeys. The permit shall also contain the order in which the various places shall be visited along with and indication of the appropriate date of the arrival and the departure from each such place and a list of passengers travelling in the vehicle excluding motor cab, duly signed by the authority granting the permit.

(ii) Temporary Contract Carriage Permits under section 87 (1) (a) of Motor Vehicles Act, 1988

Temporary Contract carriage Permits shall be issued under section 87(1) (a) of the Motor Vehicles Act, 1988 by the transport authorities of each State without any limit on their number and without prior concurrence of the reciprocating State.

4. Stage Carriage Permits under section 72 of the Motor Vehicle Act, 1988

(i) Reciprocal agreement with regard to operation of stage carriage on interstate routes between Uttar Pradesh and Rajasthan shall be as per Annexures "A" and "B"

(ii) The number of trips allocated for each State on each inter-state route shall be fixed as far as possible according to the length of route falling in each State. A trip for purpose of this agreement will mean single trip daily. The routes mentioned in Annexures "A" and "B" shall always mean the shortest direct routes connecting the two terminals lying in the two States through the places mentioned therein. Any discrepancy discovered later in the name or length of route shown in the said Annexures shall promptly be corrected through correspondence between the reciprocating States and shall not be treated as any modification of the agreement:

(iii) The time table for the routes mentioned in Annexure "A" shall be fixed by the permit issuing authorities of the two States and the time table for stage carriages for the routes mentioned in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure "B" shall be fixed by the concerned State Transport Undertakings, after mutual consultation if required.

(iv) Passenger fares shall be charged according to the rates fixed by the respective State for the portion lying in the State.

(v) The stage carriage permits of both the States falling under reciprocal agreement shall be countersigned on the single point taxation basis that means every such permit holder will have to pay only special road Tax/Passenger Tax/Goods Tax/Additional Tax etc. (By whatever name it is imposed):

(vi) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under section 87 (1) (d) of the Motor Vehicles Act, 1988 for a period upto four months under intimation to the reciprocating State and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require countersignature of the reciprocating State, and the Motor Vehicle will be authorized to ply on single point taxation basis:

Provided that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal application under section 81 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988.

(vii) No permit for stage carriage shall be granted or countersigned other than that of State Transport Undertakings on nationalized routes or part thereof by the transport authorities of reciprocating States.

(viii) Both the State Transport Undertakings can operate on any inter-state route by any vehicle out of its fleet, owned or hired under any arrangement entered into between such owner and the undertaking for the use of the said vehicle by the concerned State Transport Undertaking.

(ix) The respective State Transport undertakings may add new services of stage carriage on notified routes or increase the numbers of trips on any existing route keeping in view the over all public demand by mutual agreement in writing with the approval of both the State Governments. This will also imply that no motor vehicle/road tax shall be payable by the respective State transport undertakings to the reciprocating State in respect of such services.

(x) All the previous stage carriage permits, which are countersigned by either state, before coming into force of this agreement, shall remain in force.

5. General Provision For Temporary Permits

(i) Separate list of different type of temporary permits (Goods carriage/Contract Carriage) issued in each month shall be submitted to the Transport Commissioner's of each State by the other State.

(ii) All temporary permits, excepting temporary permits issued under the foregoing Article 4 (vi), if countersigned or allowed, shall be on double point taxation basis that means every such permit holder will have to pay both special road tax/passenger tax and motor vehicle tax/road tax, as the case may be, along with the countersignature fee of concerned state.

(iii) The Transport Authority of "Uttar Pradesh while granting such permit for the State of the Rajasthan shall direct the owner/driver to pay the taxes at the Tax Collection centers/Check posts at border before entering into the State.

(iv) The Transport Authority of Rajasthan while granting such permit for the State of the Uttar Pradesh shall direct the owner/driver to pay the taxes due to the Uttar Pradesh State through e-payment or in the form of bank drafts drawn on the State Bank of India or in any other manner that may be subsequently prescribed by the Transport Commissioner. On the back of the bank draft, the temporary permit number shall be mentioned to avoid the possibility of its being misused or utilized against any other permit. The number, date and amount of the bank draft shall be entered on the form of temporary permit and the bank draft shall be drawn in the name of Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable at the headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicles enter in Uttar Pradesh. These bank drafts should be handed over by the driver or person in charge of the vehicle at the border check post/tax collection center established on the State border and if there is no tax collection center of Uttar Pradesh Government situated on the border same should be handed over in the office of the taxation officer situated nearest the point of entry in the territory of Uttar Pradesh. In case there will be any deficiency in the amount of

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

tax so remitted it will be assessed and realized in cash at the border check post for which necessary receipt in the prescribed form shall be issued forthwith. Separate demand drafts shall be drawn for motor vehicles tax, passenger tax and goods tax or the new names assigned to these taxes, as the case may be.

6. Taxation

The taxes of reciprocating States in respect of different types of vehicles operating on various classes of permits will be payable as per provisions of the Taxation Act and Rules of the respective States.

7. Counter signature

The counter signature shall be granted by the State Transport Authority or Regional Transport Authority of any State, as the case may be, on the recommendation made by the Transport Authority of the other State.

8. Corridor route

In view of the geographical position of the two States of Rajasthan and Uttar Pradesh some routes having their originating and terminating points in one State have to pass through a small portion of the territory of the other State. The motor vehicles of the one State permitted to ply on such route have, therefore to pass through the small enclaves in the other State to complete the whole journey.

Under section 88 (1) of the Motor Vehicle Act, 1988 it has been provided that where both the starting point and the terminal point of a route are situated within the same state, but part of such route lies in any other State and the length of such part does not exceed sixteen kilometers, the permit shall be valid in other State, in respect of that part of the route which is in that other State, notwithstanding that such permit has not been countersigned by the State Transport Authority or the Regional Transport Authority of the other State.

In view of this specific provision of the law, countersignature of the permits of vehicles, availing corridor facility shall not be necessary but such permits, for purpose of "taxes shall be treated as par with permits which are duly countersigned and shall be allowed on single point taxation basis.

Whenever the permits are granted by the Transport Authority of reciprocating State to operate the vehicle on corridor routes of other State, such permits shall be clearly endorsed by the issuing authority that countersignature of permits is not required under the second proviso of sub-section (1) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988. Issuing authority shall recover the whole taxes such as special road tax/passenger tax. etc. of such corridor routes as is payable under the provisions of the Taxation Act and rules of concerning States from such permit holders.

9. General

(i) The reciprocating States shall accord recognition of tax tokens, drivers and conductor license, transport vehicle authorisation and the certificate of fitness issued under the relevant routes of each of the two States in respect of vehicles operating on Inter-State routes, in accordance with this agreement.

(ii) This agreement shall be valid till such time as a new agreement is arrived at between the two States. This agreement can. However, rescinded by either State alter issue of three months notice. This agreement will be open to revision every year or at the instance of the Transport Authority of either State.

IN WITNESS THEREOF the parties hereto have signed this agreement on this day first above written.

(Aradhana Shukla)
Principal Secretary
Transport Department
Government of Uttar Pradesh

For and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh

Witness
K. Ravinder Naik,
Transport Commissioner &
Managing Director, UPSRTC

(Shailendra Agarwal)
Principal Secretary &
Transport Commissioner
Transport Department
Government of Rajasthan

For and on behalf of the Governor of Rajasthan

Witness
Kuldeep Ranka
Managing Director, RSRTC

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure-A

List of routes and services on Interstate routes between Rajasthan and Uttar Pradesh (Other than Notified Routs)

S.No.	Name of the Route	Distance in Kilometers			No of Single Trips		Number of Permits		Opeational Kms.	
		U.P	Raj.	Total	U.P.	Raj.	U.P	Raj.	U. P. In Raj.	Raj. In U.P.
1	2	3a	3b	3c	4a	4b	5a	5b	6a	6b
1	Mathura-Bharatpur	22	14	36	48	36	24	18	672	792
2	Kumher-Goverdhan	19	8	27	26	10	16	8	*208	190
3	Bharatpur-Goverdhan via Jajampatti	17	21	38	16	20	8	10	336	340
4	Rajakeda-Bhadroli via Sadikpur	24	8	32	44	8	18	8	*192	192
5	Hindon-Fatehpur-sikari via Bayana	6	78	84	4	24	4	24	314	**144
6	Bayana,Goverdhan via kumher,Sonkh	24	56	80	8	12	8	12	448	288
7	Bharatpur-Fatehpur-sikari via Unchanagla	10	14	24	16	8	8	4	224	**80
8	Bharatpur-Achhnera via Noh,Pipala,Ole	12	18	30	6	8	3	4	108	96
9	Roopbas-Fatehpur-sikari via Khanva-mod	12	10	22	8	8	4	4	80	96
10	Dholpur-Fatehpur-sikari via Bari, Basedi, Roopbas	27	58	85	4	8	2	4	232	216
	Total				180	142	95	96	2814-*480=2334	2434-**224=2210
	* operational kilometer range of routes up to 10 kms in length in Rajasthan has been excluded.									
	** Kilometersof Range up to 10 Km in length in Uttar Predesh has been excluded.									

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annexure B

List of routes and services on interstate routes between Rajasthan and Uttar Pradesh to be operated by RSRTC &UPSTRC(Notified Routes)

S. No.	Name of the Route	Kilometer				Single Trips		Permits		Operational Kms.	
		U.P	**Raj.**	**Other**	**Total**	**Raj.**	**U.P.**	**Raj**	**U.P.**	**Raj.in U.P**	**U.P.in Raj.**
1	2	**3a**	**3b**	**3c**	**3d**	**4a**	**4b**	**5a**	**5b**	**6a**	**6b**
1	Agra-Gwalior	32	29	66	127	0	20	0	10	0	580
2	Agra-Rajakheda	32	7	0	39	24	0	6	0	768	0
3	Jaipur-Gwalior	82	221	66	369	4	6	4	6	328	1326
4	Agra-Jaipur Via Uncha-Nagla	50	192	0	242	4	24	4	12	200	4608
5	Gwalior-Delhi Via Agra	146	29	164	339	2	10	2	5	292	290
6	Jaipur-Kanpur Via Agra	340	202	0	542	0	4	0	4	0	808
7	Mathura-Gwalior Via Agra	90	29	66	185	6	6	3	3	540	174
8	Mathura-Bharatpur-Jaipur	22	198	0	220	8	16	8	8	176	3168
9	Aligarh-Ajmer Via Mathura-Jaipur	86	334	0	420	4	2	4	2	344	668
10	Vrindavan-Udaipur	37	630	0	667	2	2	2	2	74	1260
11	Mathura-Alwar	31	89	0	120	18	0	9	0	558	0
12	Agra-Bharatpur Via Chiksana	42	16	0	58	6	0	2	0	252	0
13	Agra-Bharatpur Via Fathpursikri	50	13	0	63	14	8	7	4	700	104
14	Agra-Dholpur	32	24	0	56	8	8	2	2	256	192
15	Agra-Khajuraho	130	29	248	407	0	4	0	4	0	116
16	Haridwar-Jaipur Via Delhi	145	167	184	496	12	12	12	12	1740	2004

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17	Mathura-Kailadevi Via Bharatpur	22	173	0	195	4	0	2	0	88	0
18	Meerut-Ajmer-Pushkar Via Delhi	58	314	130	502	4	4	4	4	232	1256
19	Meerut-BalajiVia Alwar	58	163	147	368	2	2	2	2	116	326
20	Moradabad-Ajmer Via Delhi	161	299	130	590	0	4	0	4	0	1196
21	Bareily-Ajmer Via Mathura	257	331	0	588	4	2	4	2	1028	662
22	Agra-Ajmer Via Bharatpur	50	331	0	381	0	4	0	4	0	1324
23	Bulandshahar-Ajmer Via Mathura	154	331	0	485	0	2	0	2	0	662
24	Mahoba-Agra	195	29	171	395	0	4	0	4	0	116
25	Jhansi-Delhi	162	29	242	433	0	2	0	2	0	58
26	Mahoba-Delhi	309	29	216	554	0	2	0	2	0	58
27	Meerut-Alwar Via Delhi. Gurgaon	58	38	147	243	4	2	4	2	232	76
28	Saharanpur-Ajmer Via Delhi	157	299	130	586		2		2	0	598
29	Aligarh-Jaipur Via Mathura Igtas	86	202	0	288	10	4	5	4	860	808
30	Agra-Bikaner Via Bharatpur Jaipur	50	552	0	602	2	0	2	0	100	0
31	Nainital-Jaipur Via Delhi	210	167	228	605	4	2	4	2	840	334
32	Soron-Pushkar Via Mathura,Bharatpur	146	345	0	491	0	6	0	6	0	2070
33	Farukhabad-Jaipur-Ajmer Via Kayamganj	244	331	0	575	0	2	0	2	0	662
34	Farukhabad-Jaipur- Via Mainpuri, Agra	240	196	0	436	4	10	4	10	960	1960
35	Luknow-Jaipur Via Kanpur, Agra	430	196	0	626	8	4	8	4	3440	784
36	Kotdwar-Delhi-Jaipur Via Kotputli	195	167	134	496	0	2	0	2	0	334
37	Bharatpur-Dholpur Via Fatehpursikri	84	35	0	119	2	0	1	0	168	0
38	Bharatpur-Gwalior Via Chiksana	74	45	66	185	2	0	1	0	148	0
39	Jaipur-Firozabad	96	196	0	292	4	0	2	0	384	0
40	Mahaviriji-Shikohabad Via Agra Ext.upto Kanpur via Mainpuri	257	127	0	384	2	0	2	0	514	0
41	Bharatpur-Bah Ext. upto Kanpur via Etawa	280	16	0	296	2	0	2	0	560	0
42	Kailadevi-Soron Via Agra	181	165	0	346	2	0	1	0	362	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

43	Bharatpur-Kayamganj Via Agra, Etah	208	11	0	219	2	0	1	0	416	0
44	Jaipur-Rajakheda Via Bharatpur, Agra	85	202	0	287	4	0	2	0	340	0
45	Tonk-Farukhabad Via Agra Mainpuri	240	296	0	536	2	0	2	0	480	0
46	Barathpur-Etawa-Jaipur Via Agra	179	11	0	190	2	0	2	0	358	0
47	Dholpur-Farukhabad	222	24	0	246	2	0	1	0	444	0
48	Dholpur-Etawah	159	24	0	183	2	0	1	0	318	0
49	Dholpur-Kayamganj Via Etah	188	24	0	212	2	0	1	0	376	0
50	Dholpur-Aligarh Via Agra	120	24	0	144	2	0	1	0	240	0
51	Mathura-Murena Via Agra Dholpur	90	29	29	148	4	0	2	0	360	0
52	Dholpur-Soron Via Agra, Eta	168	24	0	192	4	0	2	0	672	0
53	Gwalior-Aligarh Via Agra	118	29	66	213	2	0	1	0	236	0
54	Dholpur-Delhi Via Agra-Mathura	132	24	100	256	4	4	2	2	528	96
55	Jaipur-Ramnagar Via Delhi-Moradabad	148	167	171	486	2	2	2	2	296	334
56	Jaipur-Soron Via Bharatpur, Mathura	146	198	0	344	10	0	10	0	1460	0
57	Bharatpur-Koshi Via Deeg-kaman	18	70	0	88	6	0	3	0	108	0
58	Bharatpur-Bajna	85	14	0	99	6	0	3	0	510	0
59	Alwar-Agra Via Mathura	88	89	0	177	10	0	5	0	880	0
60	Alwar-Agra Via Bharatpur	52	128	0	180	4	0	2	0	208	0
61	Alwar-Aligarh Via Mathura	91	89	0	180	2	0	2	0	182	0
62	Alwar-Bareilly Via Mathura-Soron	248	89	0	337	2	0	2	0	496	0
63	Bharatpur-Soron Via Mathura	146	17	0	163	4	0	2	0	584	0
64	Sinsini- Bajna	93	43	0	136	2	0	1	0	186	0
65	Bharatpur-Aligarh Via Mathura	88	17	0	105	10	0	5	0	880	0
66	Bharatpur-Managarhi Via Mathura-Bajna	94	17	0	111	2	0	1	0	188	0
67	Bharatpur-Dauji	43	17	0	60	2	0	1	0	86	0
68	Jaipur- Dauji	43	202	0	245	2	2	1	1	86	404
69	Delhi-Bharatpur Via Kaman, Deeg	27	67	100	194	18	0	9	0	486	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

70	Delhi-Bharatpur Via Mathura	71	17	100	188	4	4	2	2	284	68
71	Jaipur-Goverdhan Via Deeg	8	198	0	206	12	0	6	0	96	0
72	Meerut-Ajmer via Delhi	58	299	130	487	2	0	2	0	116	0
73	Jaipur-Moradabad Via Kotputli,Delhi	182	167	130	479	2	2	2	2	364	334
74	Jaipur-Dehradoon Via Kotputli,Delhi	136	167	227	530	4	2	4	2	544	334
75	Khairthal-Hastinapur Via Delhi Meerut	99	69	130	298	2	0	2	0	198	0
76	Mahavirji-Delhi Via Bharatpur,Deeg	27	164	100	291	2	0	2	0	54	0
77	Alwar-Moradabad-Rampur Via Tijara, Bhiwari	189	95	93	377	2	0	2	0	378	0
78	Jaipur-Haridwar Via Mathura	313	202	54	569	2	2	2	2	626	404
79	Sikar-Haridwar Via Delhi	145	120	184	449	2	0	2	0	290	0
80	Ladnu-Haridwar Via Delhi	145	246	184	575	2	0	2	0	290	0
81	Jhunjhunu-Haridwar Via Delhi	145	137	184	466	2	0	2	0	290	0
82	Bikaner-Haridwar Via Rajgarh,Jind,Shamli,Muzaffarnagar	70	277	296	643	4	0	4	0	280	0
83	Ganganagar-Haridwar Via, Hisar,Haansi,Panipat,Muzaffarnagar	70	227	272	569	2	0	2	0	140	0
84	Jodhpur-Haridwar Via Delhi	145	519	184	848	4	0	4	0	580	0
85	Jalore-Haridwar Via Delhi	145	585	190	920	2	0	2	0	290	0
86	Udaipur-Haridwar Via Delhi	145	609	183	937	2	0	2	0	290	0
87	Alwar-Haridwar Via Delhi	145	38	201	384	4	0	4	0	580	0
88	Bharatpur-Haridwar Via Mathura, Aligarh	313	17	54	384	2	0	2	0	626	0
89	Dholpur-Haridwar Via Agra,Aligarh,Meerut.	347	24	54	425	2	0	2	0	694	0
90	Mathura-Deeg-Kama-Koshi	47	40	0	87	2	0	1	0	94	0
91	Jhansi-Meerut Via Gwalior, Dholpur	275	29	153	457	0	2	0	2	0	58
92	Lucknow-Ajmer Via Hardoi-Faridabad-Bewar-Agra	437	331	0	768	2	2	2	2	874	662

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

93	Agra-Kailadevi Via Fathepur-sikiri	50	170	0	220	2	2	1	1	100	340
94	Agra-Udaipur Via Bharatpur Jaipur	50	630	0	680	2	0	2	0	100	0
95	Hindon-Bharatpur-Mathura-Saharanpur	295	94	0	389	2	0	2	0	590	0
96	Ajmer-Vrindavan	37	326	0	363	2	0	2	0	74	0
97	Bharatpur-Kosi Via Mathura-Deeg	69	54	0	123	4	0	2	0	276	0
98	Bharatpur- Mathura	29	13	0	42	12	0	3	0	348	0
99	Dholpur-Samikhara	136	24	0	160	2	0	1	0	272	0
100	Mathura-Deeg	31	9	0	40	12	0	3	0	372	0
101	Bharatpur-Ganjdundwara Via Etah	173	11	0	184	2	0	1	0	346	0
102	Bari-Agra-Itawa Via Khairgarh-Saniya	42	48	0	90	2	0	1	0	84	0
103	Dholpur-Bah	71	24	0	95	2	0	1	0	142	0
104	Bharatpur-Akola	40	11	0	51	2	0	1	0	80	0
105	Jaipur-Sunauli Via Agra	814	198	0	1012	0	4	0	4	0	792
106	Allahabad-Pushkar Via Ajmer Agra	541	345	0	886	0	2	0	2	0	690
107	Banda-Ajmer	443	331	0	774	0	2	0	2	0	662
108	Agra-chhattarpur Via Dholpur	130	29	245	404	0	10	0	10	0	290
109	Kota-Jhansi Via Shivpuri	16	185	132	333	4	0	2	0	64	0
110	Bharatpur-Hathras Via Agra	104	11	0	115	4	0	2	0	416	0
111	Agra-Mount Abu	50	660	0	710	1	1	1	1	50	660
112	Tonk-Aligarh	93	298	0	391	4	0	2	0	372	0
113	Soron-Bharatpur	178	11	0	189	2	0	1	0	356	0
114	Agra-Jodhpur	50	526	0	576	4	0	4	0	200	0
115	Dholpur-Jaipur Via Agra	82	217	0	299	14	0	7	0	1148	0
116	Dholpur-Jodhpur Via Agra Bharatpur	82	550	0	632	2	0	2	0	164	0
117	Lucknow-Deeg Via Mathura	473	9	0	482	0	2	0	2	0	18
118	Ajmer-Shajahanpur Via Mainpuri	313	331	0	644	0	2	0	2	0	662
119	Firozabad-Agra via Gwalior. Dholpur	76	29	66	171	2	0	2	0	152	0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

120	Hathras-Agra via Gwalior, Dholpur	87	29	66	182	2	0	2	0	174	0
121	Alwar-Aligarh-Hapur via Mathura, Bullandshahar	200	89	0	289	2	0	2	0	400	0
122	Alwar-Khair-Aligarh Via Mathura, Bajna	145	89	0	234	2	0	2	0	290	0
123	Jaipur-Goverdhan-Soron Via Deeg	174	198	0	372	2	0	2	0	348	0
124	Jodhpur-Aligarh	85	542	0	627	2	0	2	0	170	0
125	Ajmer-Kanpur	345	328	0	673	2	4	2	4	690	1312
126	Srimadhopur-Ramghat via Neem Ka Thana, Alwar, Mathura, Aligarh	138	200	0	338	2	0	2	0	276	0
127	Bharatpur-Hardoi via Kayamganj	616	22	0	638	2	0	2	0	1232	0
128	Alwar-Muradabad via Tijara, Bhiwadi, Delhi	157	94	96	347	2	0	2	0	314	0
129	Kota-Jaipur-Muradabad via Kotputli, Delhi	161	422	136	719	2	0	2	0	322	0
130	Kota-Jaipur-Bareilly via Bharatpur-Mathura, Jajampatti	243	457	0	700	2	0	2	0	486	0
131	Jaipur-Tanakpur via Delhi	233	167	242	642	2	0	2	0	466	0
132	Bhilwada-Haridwar via Jaipur, Kotputli, Delhi	147	434	190	771	2	0	2	0	294	0
133	Chittorgarh-Haridwar via Begun, Mandalgarh, Deoli, Tonk, Jaipur	147	511	190	848	2	0	2	0	294	0
134	Ladnu-Haridwar via Mehla, Bhiwani, Rohtak, Panipat, Roorkee	90	209	258	557	2	0	2	0	180	0
135	Ladnu-Haridwar via Sujangarh, Ratangarh, Churu, Rajgarh, Hissar, Panipat	90	211	276	577	2	0	2	0	180	0
136	Jaipur-Kotdwar via Delhi	125	167	173	465	2	0	2	0	250	0
137	Jaipur-Rudrapur via Delhi	190	158	158	506	2	0	2	0	380	0
138	Kailadevi-Haridwar via Mathura	259	173	54	486	2	0	2	0	518	0
139	Bharatpur-Haridwar via Mathura	259	17	54	330	2	0	2	0	518	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

140	Kota-Haridwar via Jaipur, Delhi	145	419	184	748	2	2	2	2	290	838
141	Khetri-Haridwar via Narnol, Rewari, Delhi, Gaziabad, Meerut, Muzaffarnagar	143	74	243	460	2	0	2	0	286	0
142	Barmer-Haridwar via Bikaner, Rajgarh, Hissar, Panipat, Muzaffarnagar	90	705	537	1332	2	0	2	0	180	0
143	Kuchaman-Haridwar via Sikar, Neem Ka Thana, Delhi	143	263	184	590	2	0	2	0	286	0
144	Degana-Haridwar via Sikar, Neem Ka Thana, Delhi	143	340	184	667	2	0	2	0	286	0
145	Nagaur-Haridwar via Deedwana, Sikar	143	361	184	688	2	0	2	0	286	0
146	Nagaur-Haridwar via Bhopalgarh, Merta, Ajmer, Delhi	143	536	184	863	2	0	2	0	286	0
147	Shrimadhopur-Haridwar via Ajeetgarh, Shapura, Delhi	143	141	184	468	2	0	2	0	286	0
148	Sambhar-Haridwar via Jobner, Renwal, Chomu, Chandwaji, Kotputli, Delhi	143	235	184	562	2	0	2	0	286	0
149	Ajmer-Haridwar via Delhi	145	299	184	628	2	0	2	0	290	0
150	Phalodi-Haridwar via Bap, Bikaner, Sardarshahar, Rajgarh, Hissar. Panipat, Muzaffarnagar	90	433	294	817	2	0	2	0	180	0
151	Bikaner-Haridwar via Lunkaransar Rawatsar, Nohar, Bhadara, Hissar	90	332	258	680	2	0	2	0	180	0
152	Hathras-Jaipur via Mathura, Bharatpur	70	202	0	272	0	2	0	2	0	404
153	Orai-Pushkar via Jalaun, Auraiya, Agra, Jaipur	253	345	0	598	0	2	0	2	0	690
154	Kotra-Balaji via Jalaun, Etawa, Agra	368	72	0	440	0	4	0	4	0	288

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

155	Orai-Jaipur via Umri, Rampura, Kanjosa, Udimod, Agra	310	192	0	502	0	2	0	2	0	384
156	Jhansi-Kota via Shivpuri, Baran	16	185	132	333	0	4	0	4	0	740
157	Tikamgarh-Delhi via Jhansi, Gwalior, Agra	215	29	312	556	0	2	0	2	0	58
158	Orai-Kailadevi via Madhogarh, Rampura, Kanlosa, Udimod, Agra	308	165	0	473	0	4	0	4	0	660
159	Moradabad-Ajmer via Sambhal, Aligarh, Agra	342	338	0	680	0	4	0	4	0	1352
160	Moradabad-Jaipur via Chandausi, Aligarh, Agra	302	198	0	500	0	2	0	2	0	396
161	Moradabad-Gwalior via Agra, Dholpur	282	29	66	377	0	2	0	2	0	58
162	Dhampur-Jaipur via Bijnor, Delhi	199	167	130	496	0	2	0	2	0	334
163	Meerut-Jaipur-Vanasthali via Delhi	57	243	112	412	0	2	0	2	0	486
164	Bah-Agra-Jaipur	125	196	0	321	0	2	0	1	0	392
165	Firozabad-Jaipur via Ucha Nagala	100	196	0	296	0	2	0	1	0	392
166	Rajakhera-Delhi	152	7	89	248	0	2	0	1	0	14
167	Rupaidiha- Jaipur via Agra	636	196	0	832	0	2	0	2	0	392
168	Sitapur-Ajmer-Pushkar via Naimisharanya, Hardoi, Farrukhabad, Agra	418	331	0	749	0	2	0	3	0	662
169	Bareilly-Jaipur via Mathura	249	202	0	451	0	6	0	6	0	1212
170	Badaun-Ajmer	243	288	0	531	0	2	0	2	0	576
171	Bareilly-Rudarpur-Jaipur	281	202	42	525	0	2	0	2	0	404
172	Bareilly-Tanakpur-Jaipur	323	202	37	562	0	2	0	2	0	404
173	Rupaidiha- Jaipur via Agra	557	202	0	759	0	2	0	2	0	404
174	Chitrakoot-Jaipur via Kanpur, Agra	566	196	0	762	0	2	0	3	0	392
175	Allahabad-Jaipur via Kanpur, Agra	541	202	0	743	0	4	0	4	0	808

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

176	Saharanpur-Shaamli-Panipat-Hissar-Hanumangarh	90	165	207	462	0	2	0	2	0	330
177	Haridwar-Meerut-Delhi-Jaipur-Pushkar	143	314	186	643	0	4	0	4	0	1256
178	Muzaffarnagar-Delhi-Jaipur	115	167	130	412	0	2	0	2	0	334
179	Muzaffarnagar-Meerut-Mathura-Alwar	295	89	0	384	0	2	0	2	0	178
180	Muzaffarnagar-Meerut-Ajmer-Pushkar	115	314	130	559	0	2	0	2	0	628
181	Muzaffarnagar-Meerut-Mathura-Mahaveer Ji	223	113	0	336	0	2	0	2	0	226
182	Saharanpur-Meerut via Mathura-Mahaveer Ji	295	113	0	408	0	2	0	2	0	226
183	Saharanpur-Meerut-Delhi-Jaipur	187	167	130	484	0	2	0	2	0	334
184	Saharanpur-Meerut-Mathura-Balaji	360	104	0	464	0	2	0	2	0	208
185	Saharanpur-Shamli-Delhi-Jaipur	156	167	159	482	0	2	0	2	0	334
186	Shakumbhari Devi-Bharatpur-Saharanpur-Meerut-Mathura	405	13	0	418	0	4	0	4	0	52
187	Kota-Dehradun via Jaipur, Delhi	143	422	235	800	2	0	2	0	286	0
188	Lalsot-Soron	146	175	0	321	2	0	2	0	292	0
189	Dholpur-Koshi via Khairagarh, Achhnera, Goverdhan, Nandgaon	131	35	0	166	2	0	1	0	262	0
190	Moradabad-Aligarh-Ajmer via Mathura-Jaipur	236	334	0	570	2	0	2	0	472	0
191	Alwar-Agra-Firozabad Via Mathura, Tundla	133	89	0	222	4	0	4	0	532	0
192	Rampur-Jaipur via Delhi	190	167	130	487	2	4	2	4	380	668
193	Moradabad-Kota via Delhi	261	419	136	816	0	2	0	2	0	838
194	Rampur-Jaipur via Shahabad, Sambhal, Agra	369	198	0	567	0	2	0	2	0	396
195	Kannauj-Ajmer via Agra, Jaipur	363	331	0	694	0	4	0	4	0	1324
196	Dausa-Soron via Kherli, Goverdhan, Mathura	191	110	0	301	2	0	2	0	382	0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

197	Sawai Madhopur-Soron via Gangapur, Sikandra, Nadbai, Goverdhan, Mathura	191	207	0	398	4	0	4	0	764	0
198	Dausa-Bareilly via Bharatpur, Mathura	217	110	0	327	4	0	4	0	868	0
199	Sawai Madhopur-Mathura via Goverdhan	34	207	0	241	2	0	2	0	68	0
	TOTAL	**34359**	**36752**	**13607**	**84718**	**523**	**335**	**367**	**280**	**56558**	**56774**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।